

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

दिनांक :08-04-2024

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER-05

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल में कल्याण सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित) के बाह्य संवर्ग (एक्स कैडर) पद वेतन लेवल-8 पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु इस कार्यालय एवं संवर्ग नियंत्रणाधीन महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) मध्य प्रदेश, भोपाल/ग्वालियर एवं महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली का कार्यालय, ग्वालियर शाखा में कार्यरत कर्मचारियों से आवेदन शाखा अधिकारी के अग्रेषण से दिनांक 03.05.2024 तक आमंत्रित किए जा सकते हैं।

पात्रता:- केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी:-

(क)(I) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या
(II) वरिष्ठ लेखापरीक्षक पद पर वेतन लेवल-6 या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उसी श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो अथवा वरिष्ठ लेखापरीक्षक और सहायक पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) के ग्रेड में 3 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास कल्याण या सामुदायिक क्रिया-कलापों, गृह प्रबंधन, खेलकूद, सांस्कृतिक क्रिया-कलापों, कार्मिक प्रशासन जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत दावों आदि का निपटान भी है, के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

चयन के लिए योग्यता मुख्यतः कल्याण कार्यों में रुचि एवं उपयुक्तता के आधार पर होगी न कि वरिष्ठता के आधार पर।

कार्यकाल:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतयः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष की होगी।

आयु सीमा:- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख (निर्णायक तिथि 03.05.2024) को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

संलग्न: निर्धारित प्रपत्र।

(महालेखाकार के आदेश से जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.12

दिनांक :08-04-2024

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
4. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. निदेशक, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली का कार्यालय, ग्वालियर शाखा।
6. उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-I, II, III, IV & V, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
7. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (ले.एवं हक.)-I का कार्यालय, लेखा भवन, मध्य प्रदेश, ग्वालियर आपदा प्रबंधन हेतु।
8. निदेशक, वित्त एवं संचार (लेखापरीक्षा) संचार भवन ऐनेक्सी होशंगाबाद रोड, मध्य प्रदेश, भोपाल-462011.
9. कल्याण अधिकारी।
10. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा-11, 12, 13 एवं 14, गोपनीय कक्ष एवं विधि कक्ष(परीक्षा), सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा ।
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशासन-1, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
12. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य स्थापना, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली का कार्यालय, ग्वालियर शाखा।
13. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को "Administration Personnel" लिंक एवं इंटरनेट के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।
14. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखा भवन, ग्वालियर।
15. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ. को इंटरनेट/इंटरनेट संबंधी कार्य हेतु।
16. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन।
17. सूचना पटल/गार्ड फाइल।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12